(४)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2459—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—06—2016 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 87/अ—27/2008—09.

.....

रामपदारथ तनय श्री चन्द्रिका प्रसाद ब्रा0
निवासी ग्राम बिरहा कन्हई तहसील हनुमना
जिला रीवा म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

बेदबल्लभ पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद ब्रा0
निवासी ग्राम पिताम्बर गढ़ हाल निवास
ग्राम बिरहा कन्हई तहसील हनुमना
जिला रीवा म0 प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 10-01-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—06—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि कमांक 306 रकवा 1.60 एकड़ भूमि कमांक 314/1क रकवा 1.58 एकड़ भूमि कमांक 330/348/क रकवा 3.85 एकड़ किता 3 कुल रकवा 7.03 एकड़ स्थित ग्राम पिताम्बरगढ़ पटवारी हल्का वर्तमान बिझौली गहरबरान् राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा के भूमिस्वामी चन्द्रिका प्रसाद दर्ज राजस्व रिकार्ड थे। विचारण न्यायालय में वेदबल्लभ द्वारा म0 प्र0 भू—भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 178/क के तहत बंटवारा नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वक्षरा प्रकरण कमांक 22/अ—27/2008—09 आदेश दिनांक 20.7.09 से अनावेदक के नाम नामुंतरण करने का आदेश दिया गया, इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 87/अ—27/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 30—06—2016 द्वारा समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत नहीं होने पर समाप्त कर दी गई। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि विचारण तहसील न्यायालय सर्किल खटखरी तहसील हनुमना के बंटवारा प्रकरण कमांक 22/अ—27/2008—09 आदेश दिनांक 20.7.09 की प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के न्यायासलय में अपीलार्थी पिता चन्द्रिका प्रसाद ने प्रस्तुत किया था जिसमें अनावेदक बेदवल्लभ पिता चन्द्रिका प्रसाद ने अपील प्रकरण प्रचलनशील न होने के बावत अंतिरिम आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, जिसको अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय हनुमना द्वारा प्रकरण कमांक 87/अ—27/2008—09 आदेश दिनांक 4.10.10 से अंतिरिम आवेदन पत्र निरस्त करते हुये अपील प्रकरण प्रचलनशील मान्य किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की निगरानी कलेक्टर रीवा में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 6.8.12 को निरस्त करते हुये अपील प्रकरण कलेक्टर न्यायालय द्वारा मान्य किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय तहसील हनुमना जिला रीवा ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 30.6.16 का

आधार आदेश 22 नियम 3 के आवेदन पत्र के साथ विलंब क्षमा करने का म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत एवं शपथपत्र पेश न करने के कारण बताया गया है जो विधि के विपरीत है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक राम पदारथ पिता चन्द्रिका प्रसाद का पुत्र अपील में रेस्पो0 के रूप में संयोजित था इसलिये अन्य पुत्र मृतक पिता के बजाय पक्षकार संयोजित होने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है ऐसे प्रकरण में म्याद का कोई बंधन नहीं होता है। अन्य पुत्र के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसे संयोजित करने का विधि में विधान है अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर अपील अवेट मानने में विधिक भूल की गई है न्याय दृष्टांत शांतिलाल बनाम हरिनारायण 1994 एम0 पी0 डब्ल्यू एन 62 आदि दृष्टांत प्रस्तुत कर अंत में तर्क किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना का आदेश दिनांक 30.6.16 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि मृतक चन्द्रिका प्रसाद द्वारा अपने जीवित अवस्था में ही समस्त पुत्रों का बटवारा नामांतरण करा दिया था तथा अपीलार्थी की मृत्यु हो चुकी है। किसी का हित प्रभावित नहीं था समयसीमा में आवेदन न किये जाने से प्रकरण का उपसमन हो गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा अपील को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना का आदेश दिनांक 30.6.16 विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में पृष्ठ 125 पर संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से विदित होता है कि चन्द्रिका प्रसाद की मृत्यु दिनांक 31.1.13 को हुई है। इसी प्रकरण में पृष्ठ 127 पर सजरा लगा हुआ है जिसमें मृतक चन्द्रिका प्रसाद के चार पुत्र तीर्थप्रसाद, (मृतक है) बेदबल्लभ, रामपदारथ, रामसुरेश है। गवाह के रूप में जानकी प्रसाद, शंकर दत्त मिश्रा, अंजनी कुमार,

लक्ष्मीकांत मिश्रा कोशल प्रसाद आदि पंचगणों द्वारा प्रमाणित किया गया है। जिनमें से मात्र एक पुत्र रामपदारथ द्वारा अपीलार्थी के रूप में पक्षकार संयोजन का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिया गया है। शेष पुत्रों द्वारा नहीं दिया गया है, रामपदारथ यदि परिवेदित थे तो उन्हें समय सीमा के अंदर स्वयं अपील करना था इस तथ्य का उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में किया गया है, जिससे मैं सहमत हूँ। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से विदित होता है कि मृत्यु दिनांक 31.1.13 को हुई है तथा आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2014 को प्रस्तुत किया गया था जो कि समय सीमा में नहीं था। आवेदन समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने पर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा प्रकरण का स्वमेव उपसमन (अवैट) हो गया। इससे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.6.16 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 87/अ–27/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 30.6.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर